Prof.S Dwivedi, Dean/Principal, HIMSR has been nominated as member of the Institute Body of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh by Government of India





असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकृशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 2226] No. 2226] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 2014/कार्तिक 7, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2014/KARTIKA 7, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2792(अ).—केन्द्र सरकार स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 5 के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ड.), (च) तथा (छ) में प्रदत्त शक्तियों का इस्त्रेमाल करते हुए, एतद्दवारा निम्नलिखित व्यक्तियों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्यों के रूप में नामित करती है, अर्थातः-

धारा 5 के खंड (क) के अंतर्गत नामितः

(1) पंजाब विश्विवद्यालय के कुलपति

सदस्य (पदेन)

धारा 5 के खंड (ख) के अंतर्गत नामितः

(2) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

सदस्य (पदेन)

धारा 5 के खंड (ग) के अंतर्गत नामितः

(3) संस्थान के निदेशक

सदस्य (पदेन)

धारा 5 के खंड (घ) के अंतर्गत नामितः

(4) श्री लव वर्मा,

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(5) श्रीमती अनिता शर्मा, अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

मानव संशाधन विकास के प्रतिनिधि

(6) श्री गौतम गुहा,

नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

अध्यक्ष

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार

धारा 5 के खंड (ड.) के तहत नामितः

(7) डॉ. हर्षवर्धन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केबिनेट मंत्री

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केबिनेट मंत्री (8) प्रो. चन्द्रकांत एस. पांडव, सामुदायिक चिकित्सा, एम्स के प्रोफेसर,

(9) प्रो. संतोष कक्कड़,पूर्व निदेशक, एम्स, नई दिल्ली

(10) डॉ. बी. एल. तलवार, शल्य चिकित्सा, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के पूर्व प्रोफेसर

(11) डॉ. बी. आर. शर्मा, पूर्व निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़

(12) डॉ. यतिन मेहता, मेदांता मेडिसिटी, नई दिल्ली

(13) डॉ. बी. पी. चटर्जी कलकत्ता आईएससीए के प्रतिनिधि (गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक)

.

धारा 5 के खंड (च) के तहत नामितः

(भारतीय विश्विविद्यालय के चिकित्सा संकाय के चार प्रतिनिधि)

(14) प्रो. श्रीधर द्विवेदी, डीन, हमदर्द चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

(15) डॉ. भाविन एस. कोठारी, चिकित्सा संकाय, सौराष्ट्र विश्विविद्यालय, राजकोट, गुजरात

(16) डॉ. पी. सतीश चन्द्र, निदेशक एवं कुलपति, निम्हान्स, बैंगलोर

(17) डॉ. जी. बी. गुप्ता, कुलपति, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय

धारा 5 के खंड (छ) के तहत नामितः

(18) श्री विनोद खन्ना, संसद सदस्य (लोक सभा)

(19) श्री प्रेम सिंह चन्दुमाजरा संसद सदस्य (लोक सभा)

(20) डॉ. एम. एस. गिल संसद सदस्य (राज्य सभा)

[फा. सं. वी-17011/2/2014-एमई-II] संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th October, 2014

S.O. 2792(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a), (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of Section 5 of Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51of 1966), the Central Government hereby nominates the following persons to be the members of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, namely:—

Nominated under clause (a) of Section 5:

(1) Vice Chancellor of Punjab University

Member (ex-officio)

Nominated under clause (b) of Section 5:

(2) Director General of Health Services

Member (ex-officio)

Nominated under clause (c) of Section 5:

(3) Director of the Institute

Member (ex-officio)

Nominated under clause (d) of Section 5:

(4) Mr. Lov Verma Secretary, Ministry of Health and Family Welfare

Representa

 Mrs. Anita Sharma, Additional Secretary, Department of Higher Education Representative of Human Resource Development

(6) Mr. Gautam Guha, AS & FA Ministry of Health and Family Representative of Ministry of Finance

Representative of Ministry of

Health and Family Welfare

Nominated under clause (e) of Section 5:

(7) Dr. Harsh Vardhan Union Minister for Health and Family Welfare

(8) Prof. Chandrakant S. Pandav Professor of Community Medicine, AIIMS, New Delhi

(9) Prof. Santosh Kacker, Former Director, AIIMS, New Delhi.

(10) Dr. B.L Talwar, Former Professor of Surgery, PGIMER, Chandigarh.

(11) Dr. B.R. Sharma, Former Director, PGIMER, Chandigarh

(12) Dr. Yatin Mehta, Medanta Medicity, New Delhi President

(13) Dr. B.P Chatterjee Calcutta Representative of ISCA (Non-medical Scientist)

Nominated under clause (f) of Section 5:

(Four representatives of Medical Faculty from Indian University)

(14) Prof. ShridharDwivedi,
Dean, Hamdard Institute of Medical Sciences &
Research, Jamia Hamdard University, New Delhi

- (15) Dr. Bhavin S. Kothari, Faculty of Medicine, Saurashtra University, Rajkot, Gujarat
- (16) Dr. P. Satish Chandra, Director & Vice-Chancellor, NIMHANS, Bangalore
- (17) Dr. G.B Gupta, Vice-Chancellor, AYUSH & Health Sciences University of Chhattisgarh

Nominated under clause (g) of Section 5:

- (18) Shri Vinod Khanna, Member of Parliament (Lok Sabha)
- (19) Shri Prem Singh Chandumajra Member of Parliament (Lok Sabha)
- (20) Dr. M.S Gill Member of Parliament (Rajya Sabha)

[F. No. V-17011/2/2014 ME-II] SUNDEEP KUMAR NAYAK Jt. Secy.